



अज अदालत..... मुकाम.....

बनाम ..... कानारात ..... नरसिंशा राम वगैरा

किस्म मुकदमा ..... 111/128 नं ..... 09 सन् ..... 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/01/2019	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... कुम्भार के श्री धर्मा</p> <p>ने यह प्रार्थनोपत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 R.P.R.</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 4/02/2019 को पेश हो।</p>	<p>09</p> <p>10.1.2019</p>
04/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अडवोकेटों</p> <p>के नोटिस तामील बुद्धा प्राप्त जिसे तामील</p> <p>पत्रावली भी प्राप्त। अडवोकेटों वाकबुद्ध</p> <p>तामील अनुपस्थित। सीमान्त पीठापीन अधिष्ठा</p> <p>डिग्नर डायरी में दर्ज होने के तामिल इल्लु</p> <p>डोडर आगामी दिनांक 10/04/19 को पेश की</p>	
10/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अडवोकेटों</p> <p>वाकबुद्ध तामील अनुपस्थित। न्यायालय समु</p> <p>तीन बजे आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज</p> <p>5.45 PM पर लगाई गई। अडवोकेटों टक्के</p> <p>या देने के अतिरिक्त भी भी न्यायालय</p> <p>निश्चित है कि उन ही अर्थ के डोडर अधिवक्ता</p> <p>उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेटों</p> <p>डाकवादी अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधि-</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/बाद/2019/ 133

दिनांक:- 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र केसराराम  
जाति जाट निवासी सेवनियाला  
तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. नरसिंगाराम पुत्र देवाराम जाति सुथार वगैरा 12  
निवासी सेवनियाला  
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 2/19

आदेश

मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 417/292 रकबा 90-01 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



134-138

प्रतिलिपि निम्न की सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री कानाराम पुत्र केसराराम
4. विप्रार्थीगण नरसिंगाराम पुत्र श्री देवाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी (बायतु)

दिनांक:- 10/4/19 बायतु

10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु